ment, discussions have been held with Stale Governments, Development Authorities and larger Municipal Corporations on the subject in regard to areas where public-private partnerships can be considered and on modalities for involving the private sector in the provisions of municipal services. Since Local Self-Goverament is a State subject, a final decision regarding privatisation of municipal services has to be taken by the respective State Governments/Local Bodies.

महानगरों को वित्तीय सहायता

5183. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के चार महानगरों की प्रमुख शहरी समस्याओं को हल करने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने चार महानगरों के लिए केन्द्रीय सहायता कोष से कितनी धनराशि का आबंटन किया है;

(ग) बम्बई शहर के लिए बिजली, पानी, सड़क, आवास, परिवहन, सफाई इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता कोष से 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने के संबंध में सरकार से की गई मांग के बारे में मंत्रालय ने अब तक कौन से ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने गंदी बस्तियों के सुधार के संबंध में कोई योजना तैयार की है ताकि आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और उनका उत्थान किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) "शहरी विकास" राज्य विषय है इसलिए कस्बों तथा शहरों को विकास हेतु परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना धन से अथवा बाह्य सहायता से तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। विनिर्माण बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि जैसे बड़े महानगरों की व्यापार, परिवहन के क्षेत्र में भूमिका और योगदान और एक तरफ राजकोष में उनके अंशदान तथा दूसरी तरफ अवस्थापन संबंधी कमियों तथा स्टेट सेक्टर से सीमित वित्तीय सहायता को स्वीकारते हुए महानगरों को अवस्थापन विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई है। इस योजना में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर शहर शामिल हैं। इस योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संस्थागत वित्त के मध्य 25:25:50 की भागीदारी निर्धारित है। वर्ष 1993-94 के दौरान रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं। बम्बई 20.10 करोड़ रुपए, कलकत्ता 20.10 करोड़ रुपए, मद्रास 15.10 करोड़ रुपए, हैदराबाद 15.10 करोड़ रुपए तथा बंगलौर 0.10 करोड़ रुपए।

(घ) तथा (ङ) निर्धारित स्लमों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अंतर्गत मुहैया कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता प्राप्त शहरी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्लम सुधार अथवा स्लम बेहतरी परियोजना का एक घटक है और तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना में स्लम सुधार घटक पर परियोजना लागत 45.65 करोड़ रुपए है जबकि बी. यू. डी. पी. में यह लागत 21.60 करोड़ रुपए है।

सरदार सरोवर परियोजना से बिजली की उपलब्धता

5184. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार सरोवर अंतर-राज्यीय पन बिजली परियोजना से संबंधित कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश को कितनी बिजली उपलब्ध करायी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): सरदार सरोवर परियोजना के नहर मुख्य विद्युत घर पर कार्य दिसम्बर, 1995 तक

पूरा किया जाने का कार्यक्रम है, नदी तल विद्युत घर पर कार्य जुलाई, 1999 तक पूरा किए जाने की संभावना है। 1450 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 57% अर्थात् 826.5 मेगावाट है।

राजघाट बांध के लिए मध्य प्रदेश की वन भूमि की आवश्यकता

5185. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य राजघाट बांध से मिलने वाले अपने पानी के हिस्से को अपने प्रदेश में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की कुछ वन भूमि चाहता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की इस वन भूमि को मध्य प्रदेश राज्य को दिलाए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं तो क्या भारत सरकार उक्त वन भूमि को लोक हित में मध्य प्रदेश को अंतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश को कोई अनुदेश जारी करेगी यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि को गैर-वन भूमि में दिक्-परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। इस मामले पर केन्द्रीय नदी बोर्ड की नई दिल्ली में 18-8-93 को आयोजित की गई 14वीं बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल-नीति का कार्यान्वयन

5186. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में अधिक प्रगति नहीं हुई है तथा सितम्बर, 1987 से राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की बैठक भी आयोजित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे नियम बनाने का विचार रखती है जिससे जल-प्रबंधन, सिंचाई तथा संरक्षण से सम्बन्धित विवादों का शीघ्रता से समाधान हो सके और क्या वह वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने का विचार भी रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो तो इस प्रकार के मामलों से सरकार किस प्रकार से निपटने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति को क्रियान्वित करने के लिए सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया जिसकी अब तक छः बैठकें आयोजित की गई और राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित दिशा निर्देशों/नीति प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया ताकि उनको अपनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके :

(1) जल सूचना विधेयक।

(2) नदी घाटी संगठनों की स्थापना पर नीति संबंधी टिप्पणी।

(3) पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति पर नीति संबंधी टिप्पणी।

(4) जल आवंटन प्राथमिकताओं में संशोधन करना।